न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

II/निगरानी/सतना/भू.रा/2018/1683

प्रकरण क्र. /निगरानी/2018 –सतना

शिवपाल गर्ग 2. सुखदेव गर्ग पुत्र मन्नाराम गर्ग, निवासी– बगहा थाना सिविल लाइन तहसील रघुराज नगर सतना ....निगरानीकर्ता

बनाम

भूपत प्रसाद गर्ग पुत्र अवध प्रसाद गर्ग, निवासी– बगहा थाना सिविल लाइन तहसील रघुराज नगर सतना ....अनावेदक

निगरानी आवेदन पत्र धारा 50 म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत प्रस्तुत विरूद्ध आदेश तहसील रघुराज नगर सतना के प्रकरण क्र. 58/अ–12/17–18 आदेश दिनांक 05.02.2018 को पारित

श्रीमान जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे निम्न प्रकार प्रस्तुत है:–

यहकि, विवादित आराजी कमांक 449 रकबा 7 डिसिमल निगरानीकर्ता द्वारा रजिस्ट्री के क्रय की विकेता ब्रजनंदन प्रसाद पुत्र श्री रामगोपाल ब्राह्मण से दिनांक 19.12.1979 को क्रय की। (प्रदर्श पी–1) निगरानीकर्ता ने उक्त आराजी पर अपना मकान बनाने हेतु निर्माण कार्य प्रारंभ किया तभी अनावेदक ने उक्त जगह पर निर्माण कार्य करने हेतु विवाद उत्पन्न किया और उसने मारपीट की जिसकी एफ.आई.आर. निगरानीकर्ता ने दिनांक 05.01.2018 को की। (प्रदर्श पी–2) इसी दौरान अनावेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में सीमांकन हेतु कार्यवाही प्रारंभ की उक्त कार्यवाही में संबंधित तहसीलदार रघुराज नगर ने सीमांकन हेतु दल गठित करने का आदेश दिनांक 23.01.2018 को आदेश पारित किया। जिसमें दिनांक 29.01.2018 को सीमांकन करने हेतु दल को सूचना से अवगत कराया। (प्रदर्श पी–3) इसके बाद भी जो दल गठित किया था ने अनावेदक को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से दिनांक 29.01.2018 के पूर्व ही दिनांक 27.01.2018 को ही सीमांकन कर निगरानीकर्ता को सुने बिना सीमांकन एकतरफा कर दिया। जिसकी आपत्ति निगरानीकर्ता ने आवेदन दिनांक 27.01.2018 को दिया को नजरअंदाज कर अनावेदक को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से घर बैठकर सम्पूर्ण कार्यवाही कर सीमांकन में जो रजिस्ट्री के द्वारा सर्वे नं. 449 में पैतृक आराजी निकालकर जो सीमांकन किया के खिलाफ यह निगरानी आवेदन पत्र समयसीमा मे प्रस्तुत होने से स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर</u>

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–दो / निगरानी / सतना / भू.रा. / 2018 / 1683

शिवपाल गर्ग विरूद्ध भूपत प्रसाद गर्ग

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
05–03–2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से श्री कुंवर सिंह कुशवाह अभिभाषक उपस्थित। 3. यह निगरानी तहसील रघुराजनगर, जिला–सतना के प्रकरण क्रमांक 58 / अ–12 / 2017–18 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 05–02–2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 4. म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है। 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 03–05–2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये। (आर.के. जैन) सदस्य 5/3/19	